

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 479]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 सितम्बर 2018—भाद्र 13, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2018

शुद्धि-पत्र

क्र. 278-इक्कीस-अ (प्रा.) शुद्धि पत्र "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) क्रमांक 267, दिनांक 27 जुलाई 2018 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्द, अंक तथा कोष्ठक के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक तथा कोष्ठक पढ़े जाएं:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा कोष्ठक (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द, अंक तथा कोष्ठक आए हैं (2)		शुद्ध शब्द, अंक तथा कोष्ठक जो कि पढ़े जाएं (3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
1. धारा 153 का संस्थान	812 (1)	37	धारा 153 का स्थापन
2. करने लिए	812 (3)	6	करने के लिए
3. आनुषांगिक	812 (15)	22	आनुषंगिक
4. आनुषांगिक	812 (15)	25	आनुषंगिक
5. आनुषांगिक	812 (15)	29	आनुषंगिक
6. आनुषांगिक	812 (18)	13	आनुषंगिक

(1)	(2)	(3)	
7. विद्यमान को समाप्त	812 (19)	24	विद्यमान वृत्तों को समाप्त
8. में पूर्ण अधिकार	812 (20)	33	में कोई अधिकार या
9. खण्ड (5)	812 (21)	18	खण्ड (ध)
10. पक्षकारों निःशुल्क	812 (22)	23	पक्षकारों को निःशुल्क
11. ऐसे विनिर्दिष्ट	812 (25)	1	ऐसे विनिर्देश
12. विशिष्टियां	812 (26)	6	विशिष्टियां
13. की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखण्ड की	812 (26)	33	का या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखण्ड का
14. की या	812 (26)	34	का या
15. अधिकारी	812 (27)	4	अधिकार
16. अधिनियम	812 (27)	18	अधिनियम
17. (1) मूल अधिनियम	812 (29)	23	मूल अधिनियम
18. और	812 (29)	23	और—
19. धारा 147 के स्थान पर, शब्द, तथा अंक कोष्ठक धारा 147 की उपधारा (1)	812 (31)	2	“धारा 147” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “धारा 147 की उपधारा (1)”
20. परन्तुक यह	812 (31)	26	परन्तु यह
21. पट्टे	812 (32)	3	पट्टे
22. है वे	812 (34)	3	है, तो वह
23. “धारा 232” के	812 (34)	24	“धारा 232 के
24. प्रतिकूल प्रभावित	812 (35)	29	प्रतिकूल रूप से प्रभावित
25. वापस दे दिया	812 (37)	29	वापस दे दिए
26. शक्तियां तथा कर्तव्य धारा	812 (39)	6	शक्तियों तथा कर्तव्यों का धारा
27. कोष्ठक शब्द	812 (42)	27	कोष्ठक, शब्द
28. धारा 258), (2क)	812 (42)	28	धारा 258 (2क)
29. clause (5)	812 (62)	24	clause (s)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.